कार्यालय अंचल अधिकारी ईटखोरी

विविधवाद संख्या:–04 / 2024–245

मनोज कुमार दाँगी
पिता–शिवचरण दाँगी।
ग्राम–ईटखोरी

(प्रथम पक्ष)

बनाम्

4. बासुदेव गिरी, पिता–स्व0 महावेव गिरी
5. संतोष गिरी, पिता–बासुदेव गिरी
   ग्राम–ईटखोरी

(द्वितीय पक्ष)

प्रश्नगत भूमि की विवरणी–अंचल ईटखोरी अंतर्गत मौजा–ईटखोरी, थाना न0–45, खाता न0–113, प्लॉट न0–513, रकवा–17 डी0।

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश सहित
17/12/2024	प्रस्तुत अभिलेख संख्या–04 / 2024–25 का संधारण आवेदक मनोज कुमार दाँगी पिता–स्व0 शिवचरण दाँगी ग्राम+पोस्ट+थाना–ईटखोरी, जिला–चतरा के आवेदन पत्र के आलोक में किया गया है। आवेदन पत्र में उल्लेखित है कि मेरे पिता–स्व0 शिवचरण दाँगी जमीन का खरीदारी स्व0 भुनेश्वर गिरी के पास किये हैं। जमीन का खाता न0–113 प्लॉट न0–513 रकवा–17 डी0 केवाला दिनांक–24.01.2090 में की गई है। उस जगीन पर मिट्टी का पुराना मकान बना हुआ 40 वर्ष हो गया है और हम सभी परिवार उस घर में रह रहे थे। भारी वर्षा होने के कारण घर टुट कर गिर गया है। हम सभी परिवार को रहने में परेशानी हो रही है जिसके चलते हम घर का काम करने शुरू किये तो स्व0 महादेव गिरी का बेटा बासुदेव गिरी पोता संतोष गिरी दोनों हमारे घर पर आकर मारपीट करने लगे एवं धमकी देने लगे की यह जमीन मेरा है छोड़ दो नहीं तो पुरा परिवार का क्रिमनल आदमी सेट कर के जान से मार कर	

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश सहित

फेकवा देगें। हम सभी परिवार को बार बार धमकी दे रहा है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर घर बनाने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया गया है। आवेदन पत्र के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रतिवेदन समर्पित किया गया जो निम्नवत् है:–

- मौजा–ईटखोरी थाना न0–45, खाता न0–113 प्लॉट न0–513 रकवा–0.17 ए0 भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है। खतियान रामु गिरी के नाम से दर्ज है।
- मौजा–ईटखोरी, थाना न0–45, खाता न0–113 रकवा–17 डी0 भूमि का ऑनलाईन पंजी II के पृष्ठ संख्या–217/1 पर शिवचरण दाँगी के नाम से दर्ज है। लगान रसीद वर्ष–2022–23 तक निर्गत है। उक्त भूमि आवेदक को दा0 खा0 केश न0–76/1994–95 के द्वारा प्राप्त है।

स्थल निरीक्षण किया निरीक्षण के क्रम में पाया कि उक्त भूमि पर पूर्व से कच्चा मकान बना हुआ था, जो बारिश के कारण वर्तमान में गिरा हुआ है।

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा दोनों पक्षों को नोटिश निर्गत कर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्ष को नोटिश निर्गत कर राजस्व कागजातों के साथ अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया।

उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए अपने–अपने कथन के समर्थन में कागजात प्रस्तुत किया।

प्रथम पक्ष मनोज कुमार दाँगी पिता–शिवचरण दाँगी ग्राम–ईटखोरी के द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि मौजा–ईटखोरी, थाना न0–45, खाता न0–113 रकवा–17 डी0 भूमि केवाला संख्या–478 दिनांक–24.01.1990 से विक्रेता भुनेश्वर

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश सहित

गिरी पिता–स्व0 लालजी गिरी ग्राम–ईटखोरी से मेरे पिताजी क्रेता शिवचरण महतो पिता–स्व0 चेतो महतो ग्राम–ईटखोरी द्वारा खरीदगी केवाला से हासिल है, जिसका दाखिल खारिज केश संख्या–76/1994–95 से होकर पंजी II के भाग वर्तमान 1 पृष्ठ संख्या–217 पर जमाबंदी कायम है तथा लगान रसीद वर्ष–2024–25 तक निर्गत है। उक्त भूमि पर 40 वर्ष पुराना मिट्टी का मकान था जिसमे हम सपरिवार रह रहे थे। भारी वर्षा होने के कारण घर टुट कर गिरने के कारण घर का काम करना शुरू किये तो स्व0 महादेव गिरी का बेटा बासुदेव गिरी एवं पोता संतोष गिरी ने हमलागों से मारपीट करने लगे एवं धमकी देने लगे कि यह जमीन मेरा है। साक्ष्य के रूप में प्रथम पक्ष के द्वारा केवाला की छायाप्रति, पंजी II की छायाप्रति, रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए मकान निर्माण करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष वासुदेव गिरी, पिता–स्व0 महादेव गिरी एवं संतोष गिरी पिता–बासुदेव गिरी, ग्राम–ईटखोरी के द्वारा सुनवाई के क्रम में बताया गया कि मौजा–ईटखोरी, थाना न0–45, खाता न0–113 रकवा–17 डी0 मेरा पुराना घर का जमीन है। उक्त भूमि पर उच्च न्यायालय में वाद लंबित है। जिसका वाद न0–S.N NO 264/2016 है। मेरे द्वारा इसके पहले भी श्रीमान को आवेदन दिया गया है, इसके बावजूद प्रथम पक्ष के द्वारा जबरन मकान निर्माण किया जा रहा है। अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी एवं आरक्षी अधीक्षक, चतरा को मैनें आवेदन दिया है। खतियानी रैयत रामू गिरी के द्वारा Rent Deduction paper कोर्ट को दिया गया है जबकि दुसरे रैयत भुन गिरी वगै0 के द्वारा आज तक पेपर कोर्ट में जमा नहीं किया गया है और ना ही जबाब दिया गया है। बार–बार हाई कोर्ट के नोटिश देने पर भी जबाब नहीं मिला है। मेरे द्वारा बार–बार घर बनाने से मना

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश संख्या

करने के बाद भी मेरे जमीन पर बाजबरन घर बनाने की कोशिश करते है एवं अभद्र गाली गलोज करते हुए मारने के लिए दौड़ते है। साक्ष्य के रूप में खाता न0–113 का खतियान, रसीद प्रस्तुत करते हुए मकान निर्माण पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।

निष्कर्ष:–उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजात, राजस्व जाँच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से स्पष्ट होता है कि मौजा–ईटखोरी, थाना संख्या–45 खाता न0–113 प्लॉट न0–513 रकवा–17 डी0 भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है एवं संतोष गिरी के पूर्वज स्व0 भुनेश्वर गिरी से प्रथम पक्ष को खरीदगी केवाला द्वारा हासिल है। दाखिल खारिज वाद संख्या–76/1994–95 से होकर पंजी II के भाग वर्तमान 1 पृष्ठ संख्या–217 पर जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष–2024–25 तक निर्गत है। उक्त भूमि पर पूर्व से प्रथम पक्ष का मिट्टी का मकान बना हुआ था। मकान क्षतिग्रस्त होने के कारण उसी भूमि पर पुनः दोबारा मकान बनाया जा रहा है। द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय में खतियानी रैयतों के वंशजों के बीच भूमि बँटवारा को लेकर मामला दायर किया गया है जिससे केवालाधारी का कोई वास्ता नही है। माननीय उच्च न्यायालय में वर्ष–2016 से मामला लंबित है जो वाद के पक्षकारों का मामले के निष्पादन में अभिरूचि नही लिये जाने को स्पष्ट इंगित करता है। आवेदक द्वारा न्यायालय के समक्ष द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रश्नगत खाता की भूमि बिक्री करने एवं Online दाखिल–खारिज करने का आवेदन दिये जाने संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि यदि माननीय उच्च न्यायालय में वाद लंबित है तो किस परिस्थिति में द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रश्नगत खाता के भूमि की बिक्री की जा रही है। संबंधित

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश सहित

राजस्व उपनिरीक्षक से इस मामले में जानकारी प्राप्त करने पर प्रथम पक्ष का यह आरोप सही पाया गया। वर्त्तमान में अंचल कार्यालय में द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रश्नगत खाता के 05 दाखिल–खारिज के आवेदन Online किये गये है। इससे स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष द्वारा बेवजह प्रथम पक्ष के द्वारा किये जा रहे मकान निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है।

उक्त परिपेक्ष्य में प्रथम पक्ष के आवेदन को स्वीकृत करते हुए उनके पक्ष में आदेश पारित किया जाता है।

अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
ईटखोरी।

अंचल अधिकारी,
ईटखोरी।

Digitally signed by Savita
Date: 2024.12.30 17:06:00 +05:30
Location: 192.168.190.181